# समाज कल्याण विभाग

## अध्याय-2 ( मैनुअल-1)

### संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्त्तव्य

**1. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य** :- लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के पश्चात भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा बनाये रखना प्रथम कर्त्तव्य होगा । इस प्रयोजन हेतु संविधान में समानता के अधिकार को स्थान दिया गया । भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत विभेद एवं असमानता को ध्यान में रखते हुए नीति निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से समाज के उपेक्षित एवं शोषित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने हेतु राजकीय संगठन में समाज कल्याण विभाग की स्थापना करते हुए निर्बल एवं शोषित वर्गो के सर्वांगीण विकास का दायित्व सौंपा गया है । इसके अन्तर्गत मुख्यतः महिलायें, बच्चें, दिव्यांग, वृद्ध का बहुमुखी विकास तथा सामाजिक कूरितीयां दूर करने का कार्य निरुपित किया गया है ।

**2. लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन**:- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों के शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है । सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का कार्यान्वयन इस विभाग का मुख्य कार्य है । महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार एवं 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम भी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है ।

**3. लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और गठन का प्रसंग**:- समाज के उपेक्षित तथा शोषित वर्ग के सर्वांगीण विकास का ध्येय संविधान निर्माताओं द्वारा रखी गई । इस उद्येष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की स्थापना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 1/पी-1-1-009/2000 एवं का0-5383 दिनांक- 26-6-2000 द्वारा की गई । पूर्व में यह विभाग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत था। इसके अन्तर्गत महिलाओं, बच्चों तथा दिव्यांगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे गये योजनाओं को सही दिषा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुनः कल्याण विभाग का पुनर्गठन तीन विभागों में यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के रूप में गठित किया गया है । इस प्रकार 1 अप्रैल 2007 से समाज कल्याण विभाग स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रही है ।

**4. लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य**:- समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते है:-

1. भिखमंगों का पुनर्वास ।
2. यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास ।
3. महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य ।
4. महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष पोषाहार योजना ।
5. समाज कल्याण बोर्ड ।

6. दहेज प्रथा का उन्मूलन ।
7. महिला तथा बालों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन ।
8. विभाग में नियोजित सभी वर्ग के पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
9. कल्याण बोर्ड तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन ।
10. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक भार ।
11. सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन, जैसे:- बाल सुधार गृह, औबजरवेशन होम, ऑफटर केयर होम, सेल्टर होम, विशेष गृह, शिशु गृह इत्यादि ।
12. दिव्यांगत व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा इनके कल्याणार्थ भी योजनाओं का कार्यान्वयन ।
13. वृद्धावस्था / सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण ।
14. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजनायें ।
15. दिव्यांगता अधिनियम अन्तर्गत दिव्यांगतों के कल्याणार्थ चलायी जा रही सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ।
16. जाति प्रथा का उन्मूलन ।
17. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास ।
18. अपराधशील जनजातियों तथा समाज वहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वास ।
19. भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिए विशेष गृह निर्माण योजनायें ।

**5. लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य/कार्य क्षेत्र**:- उपर्युक्त उद्देश्य के पूर्ति हेतु समाज कल्याण समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन निदेशालय है:-

## आई. सी. डी. एस. निदेशालय के अन्तर्गत विशिष्ट उपलब्धियॉ:-

### 1. पूरक पोषाहार कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण:-

राज्य सरकार द्वारा ''ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर पूरक पोषाहार का विकेन्द्रीकरण योजना'' वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ की गई है। संप्रति बिहार राज्य, देश का पहला राज्य है जहॉ पूरक पोषाहार कार्यक्रम को संपूर्ण रूप में विकेन्द्रीकृत किया गया है। इतना ही नहीं माननीय सर्वोच्च नयायालय ने सभी राज्यों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करने का आदेष दिनांक 07.10.2004 को पारित किया है।इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक ऑगनबड़ी केन्द्र पर ''पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति'' के सहयोग से पोषाहार सामग्रीयों का क्रय एवं वितरण किया जाता है। समिति में संबंधित ऑगनबाड़ी सेविका सदस्य सचिव तथा लाभान्वित परिवारों द्वारा चयनित महिला अध्यक्ष होती है तथा लाभान्वितों द्वारा लाभान्वित महिला समूह में से चयनित तीन सदस्या, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा संबंधित टोले के ग्राम पंचायत सदस्य भी सदस्य होते है।

### समेकित बाल विकास सेवाए (ICDS) निदेशालय:-

इस निदेशालय के द्वारा मुख्यतः आई.सी.डी.एस. की योजना संचालित होती है, जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्मवती तथा धातृ महिलाओं व किषोरी बालिकाओं को 1. पूरक पोषाहार (supplementary Nutrition) 2. स्कूल पूर्व शक्षा (Pre-School Education) 3. टीकाकरण (Immunization) 4. स्वास्थ्य जॉच (Health Checkup) 5. संदर्भित

सेवायें (Referral Services) 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education) सहित छः प्रकार की सेवाए प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

- 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती है। क्रम संख्या 3 से 6 में अंकित सेवाएँ स्वास्थ विभाग के समन्वय से किए जाते हैं।

## पूरक पोषाहार कार्यक्रम

- 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों (कुपोषित - रू. 6.00 प्रतिदिन की दर से एवं अतिकुपोषित - रू. 9.00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत )
- माह में एक बार 15 तारीख को 25 दिनों के लिए घर ले जाने हेतु टेक होम राशन (THR) दिया जाता है। वर्त्तमान में लगभग 35 लाख बच्चों इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

| लाभार्थी | लाभार्थी वर्ग | चावल | दाल | अतिरिक्त पोषण |
|---|---|---|---|---|
| 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे | सामान्य रूप से कुपोषित बच्चे | 2.5 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह) | 1.250 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ | सोयाबड़ी (250 ग्राम)/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार-शुक्रवार को) |
| 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे | अतिकुपोषित बच्चे | 4 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ प्रति माह) | 2 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ | सोयाबड़ी (250 ग्राम)/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार-शुक्रवार को) |

**<u>3-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए (रू. 6.00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत)</u>**

- प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र में स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले 3-6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता तथा गर्म पका भोजन दिया जाता है।
- गर्म पका भोजन प्रतिदिन मेनू के अनुसार, सोमवार, बुधवार और शनिवार को खिचड़ी, मंगलवार को पुलाव, वृहस्पतिवार को सुजी का हलवा और शुक्रवार को रसियाव परोसा जाता है।
- इन्हें सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) को उबला अंडा भी दिया जाता है।
- वर्त्तमान में लगभग 35 लाख 3-6 वर्ष के बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

### गर्भवती / धातृ महिलाओं (रू. 7.00 प्रतिदिन की दर स्वीकृत )

- माह में एक बार 25 दिनों के लिए घर ले जाने हेतु टेक होम राशन (THR) दिया जाता है।
- वर्त्तमान में लगभग 14 लाख गर्भवती एवं धातृ महिलाऐं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पोषाहार मद् केन्द्रांश एवं राज्यांश में 50:50 अनुपात कुल रू0 96796.36 लाख आंवटित की गई जिसके विरूध रू 95433.75 लाख का व्यय है जो आंवटित राशि का 98.59 प्रतिशत है।

| लाभार्थी | लाभार्थी वर्ग | चावल | दाल | अतिरिक्त पोषण |
|---|---|---|---|---|
| महिलाएं | गर्भवती एवं धातृ | 3 कि.ग्रा. (प्रति महिला/ प्रति माह) | 1.5 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/ | सोयाबड़ी (250 ग्राम)/उबला अंडा (सप्ताह में एक बार शुक्रवार को) |

## स्कूल पूर्व शिक्षा

- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3-6 वर्ष तक के बच्चों को खेल, कविता, कहानी एवं अन्य अनौपचारिक माध्यमों से स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है।
- इसका उद्देश्य बच्चे का सामाजिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं भाषात्मक विकास है।
- यह बच्चे को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करता है जिससे पढ़ाई छोड़ने की प्रवृति में कमी आती है।
- प्रत्येक वर्ष स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु **PSE KIT** क्रय करने के लिए राशि दी जाती है।
  वित्तीय वर्ष 2016-17 में **PSE KIT** हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश में 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश मद् से रू. 2053.93 लाख तथा राज्यांश मद् से रू. 1369.29 लाख कुल रू. 3423.22 लाख आंवटित किया गया।
- **PSE KIT** क्रय हेतु राज्य स्तर पर निविदा का प्रकाशन किया गया है निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7.04.2017 है।

## आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक योजना

- यह शत्-प्रतिशत राज्य योजना है।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूलपूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी नामांकित बच्चों को पोशाक के लिए प्रत्येक वर्ष रू 250/- 2 प्रति बच्चा उनके अभिभावकों को दी जाती है।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का केन्द्रवार माइक्रोप्लान तैयार कर शिविर आयोजित कर पोशाक की राशि का वितरण किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 33.97 लाख बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। राज्यांश सामान्य एवं विशेष घटक मद् में कुल रू. 8895.70 लाख आंवटित किया गया जिसके विरूध रू. 8492.79 लाख का व्यय है जो कुल आंवटित राशि का 95.47 प्रतिशत है।

## एम.आई.एस. प्रणाली

आई.सी.डी.एस. योजना के अनतर्गत MIS को सुदृढ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गयी हे। जिला/परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यपस्था की गयी साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्टॉन / जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्टी ऑपरेअर की सेवाए उपलबध करायी गयी है।

- यह शत्-प्रतिशत राज्य योजना है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 638.48 लाख रूपये व्यय किये गए।

## आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की कार्य योजना

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से 1000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से सहमति के आधार पर विभिन्न जिलों में निर्माण कार्य की जा रही है।
- प्राक्कलन के आधार पर प्रति केन्द्र रू 5 लाख मनरेगा कार्यक्रम से तथा रू 2 लाख आई.सी.डी.एस. के केन्द्र निर्माण मद् से व्यय किए जाने का प्रावधान है।
- आई.सी.डी.एस. मद् से रू 2 लाख की राशि में 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मद् में केन्द्रांश एवं राज्यांश मिला कर कुल रू 2000.00 लाख की राशि सभी जिलों को आंवटित की गई जिसके विरूध रू. 1828.40 लाख का व्यय है जो कुल आंवटित राशि का 91.42 प्रतिशत है।

## 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण

- ऑगनबाड़ी केन्द्र के 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण का कार्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण **(UIDAI)** के चयनित एजेन्सियों के द्वारा किया जा रहा है, पूर्व से 16.27 प्रतिशत बच्चों का आधार है।
- शेष 83.73 प्रतिशत बच्चों के आधार-कार्ड पंजीकरण को त्वरित गति प्रदान करने हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं को टैब एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध करा दिया गया है।
- आधार पंजीकरण का कार्य सम्पादित करने हेतु महिला पर्यवेक्षिकाओं का प्रशिक्षण 14 जिलों, यथा- अररिया, अरवल, बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, पटना, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, पूर्णियॉ एवं गया में पूर्ण हो चुका है एवं शेष जिलों में इस माह में पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा आधार पंजीकरण का कार्य किया जायेगा।

## <u>सेविका / सहायिका चयन</u>

- सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका 5 अप्रिल 2016 को लागू किया गया।
- चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई मार्गदर्शिका के अनुसार सेविका / सहायिका चयन की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थान पर महिला पर्यवेक्षिका, को दिया गया है।
- सबंधित वार्ड सदस्य तथा सबंधित पंच को भी चयन समिति में रख गया है।
- राज्य में 91677 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र हैं - 86237 सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्र - 5440 मिनि आंगनबाड़ी केन्द्र

- कार्यरत सेविका बल 91677 के विरूध 86855 - 94.74:
- कार्यरत सहायिका बल 86237 के विरूध 80100 - 92.88:
- गत माह में 23,041 नए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन केन्द्रों को संचालित करने हेतु निर्देष जारी कर दिए गए हैं, सेविका / सहायिका की चयन प्रक्रिया की जा रही है।

## DBT से सेविका / सहायिका का मानदेय एवं राज्य भत्ता का भुगतान

- सेविका एवं सहायिका का मानदेय एवं राज्य भत्ता का भुगतान **DBT** के माध्यम से अक्टुबर 2016 से सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है।
- लगभग 99.07 प्रतिशत सेविकाओं एवं 97.40 प्रतिशत सहायिकाओं का बैंक खाता प्राप्त कर उनके मानदेय एवं राज्य-भत्ता (जून 2016 से फरवरी 2017) तक का भुगतान **DBT** के माध्यम से किया गया।
- लगभग 88.34 प्रतिशत सेविकाओं तथा 78.0 प्रतिशत सहायिकाओं का बैंक खाता आधार सं0 से लिंक करा लिया गया है।
- भारत सरकार के **PFMS** पोर्टल से बैंक-खाता एवं आधार सं0 का सत्यापन कराते हुए **DBT** के माध्यम से भुगतान किया जाता है इस कार्य में । **XIS** बैंक का सहयोग लिया जा रहा है।

## Early Childhood Care & Education

- राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधारने हेतु राष्ट्रीय ECCE नीति, 2013 के आलोक में भारत सरकार द्वारा दिए दिशा-निर्देशो के आधार पर कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:-
- **State Specific Curriculum** का निर्माण।
- राज्य **ECCE** परिषद् तथा राज्य **ECCE** कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्रखण्ड समन्वय समिति अधिसूचित।
- **ECCE** पाठ्यक्रम का मुद्रण एवं पाठ्यक्रम का सभी आँ0 केन्द्रों पर वितरण।
- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।
- प्रत्येक जिले से 2-2 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रथम फेज में 3-3 महिला पर्यवेक्षिकाओं को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण पूर्ण।
- पुनः अप्रैल माह में प्रत्येक जिले की 5-5 महिला पर्यवेक्षिकाओं को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण की योजना। **ECCE** प्रशिक्षण मद में भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त की राशि का जिला एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण हेतु आवंटन तथा इसकी कार्ययोजना एवं दिशा-निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को निर्गत।

## राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम- सबला

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें जीवन कौशल प्रदान कर सशक्त बनाना है।

- यह राज्य के 12 जिलों क्रमशः पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में लागू है।

## इसके मुख्य अवयव निम्न है:-

- प्रत्येक माह 22वें दिन टी.एच.आर. दिया जाता है।
- 16 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण
- पोषण और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा।
- परिवार कल्याण और प्रजनन एवं स्वास्थ्य पर परामर्श और मार्गदर्शन।
- जीवन कौशल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुचने की शिक्षा।
- IFA की गोलियाँ उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य जाँच और संदर्भ सेवायें।

गत वर्ष लगभग 19 लाख किशोरियों को लाभान्वित किया गया।

### मातृत्व सहयोग योजना (MBP)

- इस योजना का उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं तथा नन्हें शिशु (0-6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।
- यह योजना राज्य के दो जिलों सहरसा एवं वैशाली में चलाया जा रहा था, जनवरी 2017 से इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।
- इसके अंतर्गत गर्भवती/धातृ महिलाओं को निर्धारित शर्तो यथा प्रसव पूर्व जाँच, आयरन की गोली का नियमित सेवन, बच्चे को सभी टीके लगवाना इत्यादि को पूर्ण करने पर रू0 6000/- की नगद प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है।
- सहयोग राशि प्रथम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है तथा इसके लिए लाभार्थी का खाता खोलकर आधार सं0 से लिंक करने के उपरान्त **PFMS Portal** पर अपलोड करते हुए **DBT** के माध्यम से राशि का हस्तांतरण करना है।
- सभी जिलों से लाभार्थियों की सूची तैयार कर आई.सी.डी.एस. के बेवसाईट पर ऑन-लाईन भेजी जा रही है तत्पश्चात इसे भारत सरकार के **PFMS** पोर्टल पर डाला जाएगा।

## ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project

**पृष्ठभूमि:-** विश्व बैंक संपोषित **ISSNIP** योजना राज्य के 19 जिलों के 281 परियोजना अंर्तगत 49251 आँगनबाड़ी केन्द्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की दर में कमी लाना, 0-2 वर्ष के शिशुओं के शारिरिक एवं मानसिक विकास पर बल देना तथा आई.सी.डी.एस. पद्धति को मजबूती प्रदान करना।
- उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्ननिखित कार्य किए जा रहे हैः-

- आई0 सी0 टी0 - आर0 टी0 एम0द्ध रोल आउट
- क्रमिक क्षमता विकास: आई0 एल0 ए0द्ध
- समुदाय आधारित कार्यक्रम ; अन्नप्राशनद्ध
- अभिनव/नवाचार प्रयोग
- कार्यक्रम प्रबंधन

## आई.सी.डी.एस. निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक

संयुक्त निदेशक

उप निदेशक

सहायक निदेशक /प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी/

प्रशिक्षण पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी/

अनुश्रवण पदाधिकारी/सांख्यिकी पदाधिकारी

लेखा पदाधिकारी

प्रशाखा पदाधिकारी/

लेखा पदाधिकारी

सहायक/सांख्यिकी सहायक

## जिला स्तर पर

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
प्रखंड/ परियोजना/

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

**आई.सी.डी.एस. निदेशालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरणः-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपीलीय प्राधिकार | निदेशक, आई.सी.डी.एस. |
| 2. | लोक सूचना पदाधिकारी | सहायक निदेशक, आई.सी.डी.एस. |
| 3. | सहायक लोक सूचना पदाधिकारी | रिक्त |

**जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरणः-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपीलीय प्राधिकार | जिला पदाधिकारी |
| 2. | लोक सूचना पदाधिकारी | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, |

**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके निर्धारण की पद्धति।**

**आई.सी.डी.एस. निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी**

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम | पदनाम | वेतनमान | ग्रेड पे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रामाशंकर दफतुआर, भा.प्र.से | निदेशक | 118500-214100 | - |
| 2 | श्री आर0एन0 वार्डियार, बि.प्र.से. | सहायक निदेशक | 15600-39100 | 6600 |
| 3 | मो0 तारिक, बि.प्र.से. | सहायक निदेशक | 15600-39100 | 6600 |
| 4 | श्रीमती भारती प्रियम्बदा | सहायक निदेशक | 9300-34800 | 5400 |
| 5 | श्रीमती निरूपा कुमारी | विशेष पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 |
| 6 | श्रीमती संगीता कुमारी | लेखा पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 |
| 7 | श्रीमती श्वेता सहाय | अनुश्रवण पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 |
| 8 | श्री मदन सिंह | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 5400 |
| 9 | श्री सुनील कुमार लाल दास | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 5400 |
| 10 | श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी | सहायक निदेशक | 9300-34800 | 4800 |
| 11 | श्रीमती एम.एम. हाशमी | सांख्यिकी पदाधिकारी | 9300-34800 | 4800 |
| 12 | श्री कृष्णमोहन प्रसाद सिन्हा | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 4800 |
| 13 | श्री विनोद कुमार सिन्हा | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 4800 |
| 14 | श्री ललन कुमार झा | लेखापाल-सह-भंडारपाल | 9300-34800 | 4600 |
| 15 | श्री अनिल कुमार | लेखापाल-सह-भंडारपाल | 9300-34800 | 4600 |
| 16 | श्री विश्वजीत कुमार सुमन | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 4200 |
| 17 | श्री राजेश कुमार | सांख्यिकी सहायक | 9300-34800 | 4200 |
| 18 | श्री अक्षय कुमार राय | लिपिक-सह-टंकक | 9300-34800 | 4200 |
| 19 | श्री राजेश प्रसाद | लिपिक-सह-टंकक | 9300-34800 | 4200 |
| 20 | श्री राजदेव प्रसाद सिन्हा | (निलंबित) आशुलिपिक | 9300-34800 | 4200 |
| 21 | श्री खुर्शीद आलम | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | 2400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | मो0 कुमुद रानी<br>(समाज कल्याण निदेशालय में प्रितनियुक्त) | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | 1900 |
| 23 | श्री दिनेश कामति<br>(माननीय मंत्री स0क0 विभाग के कोषांग में प्रतिनियुक्त) | चालक | 9300-34800 | 4200 |
| 24 | श्री हरेन्द्र सिंह | चालक | 5200-20200 | 2800 |
| 25 | श्री रामकरण ठाकुर | चालक | 5200-20200 | 2800 |
| 26 | श्री बैद्यनाथ मिश्रा | कार्यालय परिचारी | 5200-20200 | 2400 |
| 27 | श्री अरूण कुमार सिन्हा | कार्यालय परिचारी | 5200-20200 | 2400 |
| 28 | श्री केदार राम | कार्यालय परिचारी | 5200-20200 | 2000 |
| 29 | श्री राजकिशोर रजक | कार्यालय परिचारी | 4440-7440 | 1650 |

**<u>सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगता</u> <u>निदेशालय द्वारा निम्नांकित पेंशन योजनाऐं कार्यान्वित की जाती है:-</u>**

**(क) केन्द्रीय पेंशन योजनाऍं :-**

- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना

**(ख) <u>राज्य पेंशन योजनाऍं :-</u>**

- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना
- राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

**1. इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-**

- इस योजना के अन्तर्गत बीoपीoएलo परिवार के 60-79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

- 80 वर्ष वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTGS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीक़ृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 42.92 लाख है, जिसमें से 36.23 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

**2. इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-**

- इस योजना के अन्तर्गत् बीoपीoएलo परिवार के 40-79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गॉधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTGS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकरी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.42 लाख है, जिसमें 4.60 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलबध है।

**3. <u>इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना:-</u>**

- इस योजना के अंतर्गत बीoपीoएलo परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी के इन्दिरा गॉधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTGS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 1.07 लाख है, जिसमें से 94,455 पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

**4. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-**

- इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/- से कम हो या जो बीoपीoएलo परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गॉधी विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत् आच्दाति नहीं हो, को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
- इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है ।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के काउन्टर पर जमा किया जाता है ।

- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी है ।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.40 लाख है, जिसमें से 4.56 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है ।

### 5. बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना :-

- इस योजना के अंतर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है ।
- इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है ।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के काउन्टर पर मा किया जाता है ।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी है ।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 6.34 लाख है, जिसमें 5.46 लाख पेंशनधरियों का खाता संख्या उपपलब्ध है ।

### 6 राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

- इस योजना के अंतर्गत 60-64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षे मं रू0 5500/- एवं ग्रामीण क्षे मं रू0 5000/- हो, को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है । विमुक्त बंधुआ मजदूर के मामले में आय एवं उम्र का बंधेज नहीं है ।
- इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है ।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी वृद्ध व्यक्तियों के मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी तथा बंधुआ मजदूर के मामले में जिला पदाधिकारी है ।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 75,319 है, जिसमें से 60,983 पेंश्नधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है ।

### 7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :-

- इसके अंतर्गत 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू0 20,000/- की आर्थिक सहायकता दी जाती है । इसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 42.00 करोड. उपलब्ध कराया गया है

### 8. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :-

- इस योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रूo 20,000/- की सहायता दी जाती है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 6.50 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 1.50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ।

## 9. कबीर अन्तेष्टि अनुदान योजना :-

- इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंतेष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000/- रू0 की एकमुश्त सहायता दी जाती है ।
- इस योजना के त्वरित भुगतान हेतु मुखिया / वार्ड कमिश्नर के पास 07 मामलों के लिए नगद राशि रू0 21,000/- हमेशा उपलब्ध रहता है तथा उनके खाते में 15 मामलों के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध रखी जाती है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 50.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 14.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ।

## 10. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :-

- इसके अंतर्गत (Visible Deformities Grade-II) के केष्ठ रोगी को भेजनादि हेतु रू० 1500/- प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 15.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू० 10.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ।

## 11. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ीत कल्याण योजना :-

- एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू0 1500/- की आर्थिक सहायकता दी जाती है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 11.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु सोसाईटी को रू0 1.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ।

## 12. वृद्धाश्रम निर्माण :-

- पटना, पूर्णियाँ तथा गया जिला में सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वृद्धाश्रम निर्माण किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1.00 करोड़ का बजट स्वीक़त है । तीनों जिलों में जमीन उपलब्ध हो गया है एवं पटना तथा गया जिला में प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त है ।

## 13. ओल्ड एज होम (सहारा) :-

- 'सहारा' कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्मय से पटना, गया, पूर्णियॉ, मुजफ्फरपुर तथा भागलुपर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, सिजमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजानों को आवासन का लाभ दिया जायेगा । इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1.00 करोड़ का बजट उपबंध है ।

## 14. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) :-

- इस योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े येाजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्द्धन, दिव्यांग, वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है ।
- इस येाजना के कार्यान्वयन में विश्व बैंक की सहभागिता है । योजना का कार्यान्वयन हेतु स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर 'सक्षम' द्वारा किया जा रहा है ।
- इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल कार्यालय या अनुमण्डल स्थित प्रखण्ड कार्यालय में 01 बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है । कुल 101 अनुण्मडलों में बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है |
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 87.80 करोड़ का बजट उपलब्ध है ।

## 15. मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' :-

- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशहिक्तकरण योजना (सम्बल) का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया गया ।
- दिव्यांगजनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योनाएँ जो अलग-अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, उन्हें जिनको समबल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत हिकया गया तथा नवघटकों को इसमें शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0 9.50 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

**<u>घटकवार योजना की विवरणी निम्न प्रकार है:-</u>**

(a) कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण
(b) दिव्यांग छावृत्ति
(c) दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण
(d) मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना
(e) विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण
(f) मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकाली विद्यालय 'चमन' का संचालन
(g) दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन
(h) मूक बधिर बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'कोशिश' का संचालन
(i) मानसिक दिव्यांग महिलाओं के लिए आश्रम गृह 'आशियाना' का संचालन
(j) मानसिक दिव्यांग पुरूषों के लिए आश्रम गृह 'साकेत' का संचालन

## (a) <u>कृमिक अंग उपकरण :-</u>

- इस योजना के तहत जरूरतमंद दिव्यांगजनों को तिपहितया सार्डकिल, ट्राई साईकिल, श्रवण, यंग, वैशाखी, कैलीपर, आदि उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है।
- **पात्रता-** (क) कोई भी स्त्री/पुरूष (ख) उम्र- चलन्त दिव्यांग के लिए 14 वर्ष से अधिक (ग) दिव्यांगता - न्यूनतम 40 प्रतिशत (घ) आय - 1,00,000/- वार्षिक तक
- **आवेदन की प्रक्रिया** - विति प्रपृ में (तिपहिया साईकिल / श्रवण / वैशाखी / अंधों के लिए श्वते छड़ी) दिव्यांगता प्रमाण - पत्र की छायाप्रति / आय प्रमाण - पत्र / उम्र प्रमाण - पत्र / निवास प्रमाण - पत्र / जाति प्रमाण - पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन - पत्र प्रखण्ड कार्यालय / जिला सामजिक सुरक्षा कोषांग में लिया जाता है ।

## (b) <u>दिव्यांग छात्रवृति : -</u>

- सरकारी विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत वर्ग 1 से स्नातकोत्तर तक के दिव्यांग छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करना ।
- **पात्रता** - सरकारी विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थान में अध्ययनतर वर्ग-1 से स्नातकोत्तर तक के छात्र / छात्राएँ ।
- **अहर्त्ता** - न्यून्तम 40 प्रतिशत एवं आय रू0 2,00,000/- वार्षिक ।
- **आवेदन की प्रक्रिया** - Matric तक का आवेदन विद्यालय के माध्यम से प्रखण्ड कार्यालय में तथा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर के आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में लिया जाता है ।

## (c) <u>दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण : -</u>

- दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर विशेष् शिविर आयोजन कर समय-समय पर किया जाता है उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वक्षरा जॉचोपरान्त दिव्यांगता प्रमाण पृ निर्गत किया जाता है । वैसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,अनुमण्डलीय स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से दिव्यांगता जॉच एवं प्रमाणिकरण का कार्य किया जा रहा है ।

## (d) <u>मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना : -</u>

- छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना 18 से 30 वर्ष तक की उम्र के छात्र/छात्राओं जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 5.00 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है ।
- **दिव्यांगजन** जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हैं उन्हें स्वरोजगार हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 1.5 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है ।
- **दिव्यांगजन** जिनके परिवार की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र में 2 लाख अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1.60 लाख) पात्रता के रूप में है।
- उम्र- 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।
- अहर्त्त–न्यूनतम दिव्यांगत 40 प्रतिशत।
- आय-शहरी क्षेत्र में रू0 2,00,000/- अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,60,000/- अधिकतम।
- ऋण की राशि- ऋण की अधिकतम राशि रू0 1,50,000/- होगा। भुगतान चेक के माध्यम से हिकया जाता है।
- आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायेगा।
- शिक्षा ऋण हेतु पात्रता- राज्य के वैसे दिव्यांग विद्यार्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0एम0आर0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों या समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य तकनीकी/ व्यवसायिक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, को यह ऋण कोई भी दिव्यांगजन छात्र/छात्रओं को दिया जाता है।
- उम्र- 18 वर्ष से 30 वर्ष तक।
- अहर्त्ता- न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत।
- ऋण की राशि- ऋण की अधिकतम राशि रू0 5,00,000/- होगी, जिसका वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 प्रतिशत होगा।

- आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायेगा।

## (e) विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण:-

- विभाग द्वारा पटना, भागलपुर, मुंगेर एवं दभंगा में संचालित आठ विशेष विद्यालय संचालित है, जिसमें 05 मूक बधिकर विद्यालय एवं 03 नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय संचालित है।

**राज्य मूक-बधिर विद्यालय :-**

| क्र0सं0 | विद्यालय का नाम एवं पता | विद्यालय एवं छात्रवास-सरकारी भवन अथवा निजी भवन | छात्रों स्वीकृत बल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय मूक बधिर विद्यालय, दरभंगा। | विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है। | 50 |
| 2 | राजकीय मूक बधिर (बालक) मध्यम विद्यालय, महेन्द्रू, पटना। | विद्यालय सरकारी भवन में अवस्थित है परन्तु छात्रावास किराये के मकान में चल रहा है। | 50 |
| 3 | राजकीय मूक बधिर (बालिका) मध्य विद्यालय, गायघाट, पटना। | विद्यालय एवं छात्रावास सराकरी भवन में अवस्थित है। | 50 |
| 4 | राजकीय मूक बधिर मध्यम विद्यालय, बड़ी खनजरपुर, भागलपुर। | विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है। | 30 |
| 5 | राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, मुंगेर। | विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है। | 25 |

### राजकीय नेत्रहीन विद्यालय:-

| क्र0 | विद्यालय का नाम एवं पता | विद्यालय एवं छात्रवास सरकारी भवन अथवा निजी भवन | छात्रों का स्वीकृत बल |
|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय नेत्रहीन उच्च विधालय, कदमकुआं पटना \| | विद्यालय एवं छात्रवास सरकारी भवन में अवस्थित है \| | 68 |
| 2 | कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा \| | विद्यालय एवं छात्रवास सरकारी भवन में अवस्थित है \| | 58 |
| 3 | राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय भीखनपुर, भगलपुर \| | विद्यालय एवं छात्रवास सरकारी भवन में अवस्थित है \| | 25 |

**(f) मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालन**:- दरभंगा, छपरा, भागलपुर, सहरसा एवं पूर्णिया जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

**(g) दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन**:- 18 वर्ष तक की आयु के नेत्रहीन बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय का संचालन दरभंगा, बांका , पष्चिमी चम्पारण, सुपौल, गया, किशनगंज एवं पटना जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव है।

**(h) मूक बधिर बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'कोशिश ' का संचालन**:- 18 वर्ष तक की आयु के मूक बधिर बालिकाओं के लिए विषेष आवासीय विद्यालय का संचालन पूर्वी चम्पारण एवं भागलपुर जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु करने का प्रस्ताव है।

**(i) मानसिक दिव्यांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'आशियाना का संचालन:-** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग महिलाओं के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, पूर्णिया, नवादा एवं दरभंगा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

**(j) मानसिक दिव्यांग पुरूषों के लिए आश्रय गृह 'साकेत का संचालन:-** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग पुरूषों के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, एवं सहरसा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन करने का प्रस्ताव है।

**16. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:-**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांग पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीकृत बैंको सावधि जमा के माध्यम से रू0 50,000/- अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0 50.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपलब्ध है।

**17. वस्त्र वितरण कार्यक्रम (गैर योजना मद):-** वस्त्र वितरण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह गैर योजना कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 2.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

वितरण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह गैर योजना कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 2.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

**सामजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगता निदेशालय (सामज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के पदाधिकारी / कर्मचारी का वेतमान संबंधी विवरणी**

| क्र0सं0 | पदाधिकारी /कर्मचारीयों का नाम | पदनाम | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रामाशंकर दफतुआर, भा0प्र0से0 | निदेशक | 118500-214100 |
| 2 | श्री शिव कुमार सिन्हा | सहायक निदेशक | 37400-67000 |
| 3 | श्रीमती शशि सुधा कुमारी | सहायक निदेशक | 9300-34800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | श्री दिनानाथ प्रसाद | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300-34800 |
| 5 | मो0 रियाजुल नबी | सहायक | 9300-34800 |
| 6 | श्री राकेश रंजन सिन्हा | सहायक | 9300-34800 |
| 7 | श्री प्रवीण कुमार | सहायक | 9300-34800 |
| 8 | श्री प्रकाश चन्द्र झा | सहायक | 9300-34800 |
| 9 | श्री नवीन कुमार दिवाकर | सहायक | 9300-34800 |
| 10 | श्री क़ष्ण कुमार | उच्च वर्गीय लिपिक | 9300-34800 |
| 11 | श्रीमती म़तिका रत्नम | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 12 | श्री आशुतोष कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 13 | श्री ओंकार कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 14 | श्री राज किशोर प्र0 सिंह | अनुसेवक | 5200-20200 |
| 15 | श्री अखिलेश्वर प्रसाद | अनुसेवक | 5200-20200 |
| 16 | श्री त्रिलोकी नाथ प्रसाद | अनुसेवक | 4440-74400 |
| 17 | श्रीमती प्रतिमा देवी | अनुसेवक | 4440-74400 |

**<u>समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निम्नांकित पेंशन योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है:-</u>**

इस निदेशालय के अन्तर्गत मुख्य से रूप से महिलाओं, बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सश्क्तिकरण हेतु विभिन्न योजनओं का संचालन एवं अन्य विभागों के द्वारा इन लक्ष्य समुहों के लिए संचालित कार्यक्रमों के समन्वयन का कार्य भी नोडल निदेशालय के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें एवं कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

## I. <u>किशोर न्याय प्रक्षेत्र</u>

1. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत राज्य में सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण गृह-11, विषेष गृह-1, बाल गृह-3 एवं एक उतर रक्षा गृह, गायघाट पटना संचालित है। गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदानित बाल गृह-27, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान-21, खुला आश्रय गृह-9 संचालित है।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के सभी 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति कार्यरत है।

- राज्य स्तर पर एक राज्य बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। शेष 38 जिलों में जिला बाल संरक्षण समिति गठित है।
- राज्य के सभी जिलों में पर्यवेक्षण गृह का निमार्ण कराया जाना है। वर्तमान में 15 जिलों में पर्यवेक्षण गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ जिलों में गृहों का निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। जिन जिलों में अभी तक गृह के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। वहाँ की जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- वर्तमान में संचालित गृहों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में कुछ और गृहों के संचालन हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2012 में किया गया है।
- गैर योजना मद में राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह (बालक एवं बालिका)/विशेष गृह के संधारणार्थ वित्तीय वर्ष 2014-15 में 595.27 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 514.94 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 562.28 लाख बजट उपबंध था तथा वर्ष 2017-18 में 409.30 लाख का बजट उपबंध है। इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत गृहों की संचालन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुरूप 60ः40 के अनुपात में राषि उपलब्ध होती है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

| 2017-18 | | | 2016-17 | | 2015-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उद्व्यय | व्यय | उद्व्यय | व्यय | उद्व्यय | व्यय |
| केन्द्राशं की राशि | 2800. 00 | – | 2000. 00 | 2000. 00 | 1000.00 | 500.00 |
| राज्यांश की राशि | 4200.00 | – | 3500.00 | 551.62 | 4124 | 2687.89 |

**2 दत्तकग्रहण कार्यक्रमः**- राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देष्य अंतर्देशीय दत्तकग्रहण का विनियमन एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशसकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करती है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में इक्कीस (21) दत्तकग्रहण संस्थान संचालित है।

**3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:-** 21 वर्ष से कम उम्र के युवक तथा 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरी का विवाह बाल विवाह माना जाता है जिसे रोकने तथा ऐसे विवाह के पक्षकारों को दंड देने का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया गया है।

**4. <u>बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोगः</u>-** राज्य में बालकों के अधिकारों के संरक्षण तथा इनके हनन की स्थिति में उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा के लिए बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य कार्यरत है।

## महिला प्रक्षेत्र

- समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला सश्क्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों यथा अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956, दहेज प्रथा निशेाध अधिनियम, 1961 बिहार डायन प्रथा निशेध अधिनियम, 1999, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया जाता है।
- महिला एवं बच्चों के व्यापार की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु राज्य स्तरीय कार्य योजना ''अस्तित्व'' तैयार किया गया है। इसके प्रभावषाली कार्यान्वयन हेतु मानव व्यापार निरोधक कोषांग का गठित है।
- महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है।

1

## State Society For Ultra Poor and Social welfare :-

स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड शोशल वेलफेयर सोसाईटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 24.02.2012 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधन संख्या - 1320/2008-09 है।

सोसाईटी का उद्देष्य अतिनिर्धन, निराश्रितों, भिक्षुकों, वृद्वजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं सषक्तिकरण करना है।
सोसाईटी द्वारा राष्टीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राषि का हस्तांतरण, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्यन्वयन किया जा रहा है।

2. **बिहार एकीकृत सामाजिक सुदृढ़ीकरण परियोजना :** परियोजना का उद्वेश्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। परियोजना के दो मूल घटक हैः- (प) सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन। (पप) दिव्यांगजनों, वृद्ध एवं विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल सम्बन्धित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण।
सम्पूर्ण राज्य में सामाजिक देखभाल केन्द्रों की स्थापना करना :- 101 अनुमंडलों में से 76 अनुमंडलों में सामाजिक देखभाल केन्द्रों (बुनियादी केन्द्र) के भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में दिव्यांगजन, वृद्ध एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देख-भाल संबंधित सेवाओं को 26 जीर्णोद्धार भवन/किराये के भवन से बुनियाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
समस्त 38 जिलों में मोबाईल ऑउटरीच और थेरेपी वैन का संचलान :- परियोजना कें अंतर्गत दिव्यांगजन, वृद्धजनों एवं विधवाओं के देखभाल और सहायक सेवाओं को मोबाईल ऑउटरीच और थेरेपी वैन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में सीधी सेवाए उपलब्ध करायी जाएँगी। वर्त्तमान में 5 मोबाईल आउटरीच और थेरेपी वैन की आपूर्ति की गई है।

संचार एवं लोक शिक्षा अभियान विकसित करनाः- परियोजन अंतर्गत लोक षिक्षा अभियान रणनीति, पोस्टर, परचो और अन्य दृष्य श्रवण सामाग्रीयों विकास किया गया है।

कार्यक्रम अंतरण व्यवस्था को कारगर बनानाः- परियोजना अंतर्गत लाभान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभ का समयबद्ध वितरण हेतु प्रभावी ई-प्रबंधन अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेषन एम0आई0एस0 (एस0एस0पी0एम0आई0एस0) का विकास किया गया है। एस0एस0पी0एम0आई0एस0 का पायलट शिवहर एवं जहानाबाद जिलों में किया गया है।

- प्रशिक्षण प्रणाली एवं कर्मचारियों की क्षमता का सुदृढ़ीकरणः- परियोजना अंतर्गत सेवाअें की गुणवत्ता में सुधार और लाभार्थी की संतुष्टि में वृद्धि करने हेतु राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण आवष्कताओं का आंकलन किया गया है।
- निरीक्षण एवं जवाबदेही की प्रक्रिया की स्थापनाः- परियोजना अंतर्गत मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए मूल्यांकन कार्यनीति तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु निविदा का आमंत्रण किया गया है।
- परियोजना को संचालित एवं पर्यवेक्षण करने हेतु हितग्राहियों एवं परियाजना लाभार्थियों की भागीदारी एवं प्रोत्साहन को बढ़ानाः- परियोजना अंतर्गत समुदाय आधारित संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहो एवं गैर सरकारी संस्था के साथ समन्वयन स्थापित किया जाएगा।
- नवाचारी प्रयोगों को सहायता प्रदान करनाः- नवाचारी सेवा प्रदाता प्रक्रिया के तहत नवाचारी प्रयोगों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों एवं सेवाओं को स्थानीय स्तर तक विस्तारति किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 114.29 (एक सौ चौदह करोड़ उन्नतीस लाख) रूपये बजट उपबंध है।

3. **मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना** :- मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना का मुख्य उद्देश्य भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के अधिकार व सम्मान की रक्षा करने व उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना हैं।

- भिक्षुकों का सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र - राज्य के 12 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुर्णियां, भागलपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली एवं सारण में 9879 भिक्षुकों का सर्वेक्षण कर 4219 भिक्षुकों का पहचान पत्र निर्गत किया गया है।
- भिक्षुकों के लिये पुनर्वास/अल्पावास गृहः राज्य के 7 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां में स्थापित पुनर्वास गृहों में पंजीकृत 3229 भिक्षुकों में 1982 भिक्षुकों को पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में पुनर्वास गृहों में 620 लाभार्थीगण आवासित है।
- बसेरा : पायलट आधार पर पटना जिले में 50 अतिनिर्धन पुरूषों एवं 20 अतिनिर्धन परिवारों को अवासित करने की क्षमता वाले केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में केन्द्रों के माध्यम से 68 अतिनिर्धन लाभान्वित हो रहे है।
- बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना : बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु सभी जिलों से अलग से शिक्षण एवं प्रशिक्षण की स्थापना न करके आई.सी.पी.एस. के तहत संचालित बाल गृहों से लक्षित बच्चों को जुड़ाव स्थापित कर पुनर्वासित किया जाता है।
- आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/ कौशल कुटीर की स्थापना : पटना जिला में आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र "कौशल कुटीर" के माध्यम से 357 भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए 240 भिक्षुकों को प्रशिक्षण के

उपरान्त विभिन्न कार्या यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित किया गया। वर्तमान में 45 भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- गरम कपड़े एवं कम्बल वितरण वर्तमान : वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2510 कम्बल एवं 2510 गरम कपड़े का भिक्षुकों में वितरण किया गया है।
- स्वयं सहायता समूह का गठन (सी.बी.एस.जी.)ः अतिनिर्धन जनों में बचत कि आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से 15 समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन किया गया है। वर्तमान में 15 सी.बी.एस.जी. का गठन कर 220 अतिनिर्धनों के साथ 1,36,000/- (एक लाख छत्तीस हजार) रूपये कि बचत जमा की गयी है।
- स्वास्थ्य जाँच एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन : सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर वृहत स्वास्थ्य जाँच शिविरों कर कुल 2453 लाभुकों की स्वस्थ जाँच कराते हुए 228 दिव्यांग अतिनिर्धन का विकलांगता प्रमाणीकरण किया गया।
- प्रोड्यूसर ग्रुप : प्रोड्यूसर ग्रुप सूक्ष्म, लघु और उधम मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत है। योजना के तहत 44 लाभूकों को प्रशिक्षित कर "मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह" का गठन किया गया है। इनके द्वारा तैयार सामग्रियों को बाजार में बिक्री कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।
- एम0आई0एस0 रू एम0आई0एस0 के माध्यम से भिक्षुकों की ट्रैकिंग एवं पहचान पत्र बनाया जा रहा है। योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित भिक्षुकों की संख्या एवं उसका विस्तृत विवरण एस.एस.यू.पी.एस.डब्लू. के बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20.00 (बीस लाख ) रूपये बजट उपबंध है।

5. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के विस्तृत दिशा -निदेश के अनुसार किया जा रहा है।

- पेंशन मद में रु0 2289.03 करोड़ हस्तांतरित।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना रु0 50.00 करोड़ हस्तांतरित।
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना रु0 6.5 करोड़ हस्तांतरित।
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना रु0 15.00 करोड़ हस्तांतरित।
- बिहार एड्स पीड़ित योजना रु0 11.00 करोड़ हस्तांतरित।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' रू0 3.99 करोड़ हस्तांतरित।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2375.52 (दो हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये हस्तांतरित।

# अध्याय -7 (मैनुअल-6)

**<u>बोर्ड, परिषदों, व्यक्तियों एवं अन्य निकायों का विवरण।</u>**

1. कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

- संबंद्ध संस्था का नाम एवं पताः- स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफयेर, द्वितीय तल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना-23
- संबंद्ध संस्थास का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाया या अन्य)- सोसाईटी
- संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देष्य,/मुख्य कृत्य)- स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 24.02.2012 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधन संख्या - 1320/2008-09 है।
- संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदाता/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य) - योजना एवं परियोजना का कार्यान्वयन
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य - बायोलॉज संबंधित पृष्ठ संलग्न।
- मुख्य अधिकारी का नामः- श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के.....
- बैठक की आवृति- कार्यकारिणी समिति (तीन माह में एक बार) एवं आम सभा (छः माह में एक बार)।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? - नहीं।
- क्या बैठक में कार्यवृत तैयार की जाती है? -हाँ
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है ? तो प्रक्रिया का विवरण दें :- नहीं।

## अध्याय-10 (मैनुअल-09)

**स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर में पदस्थापित पदाधिकारी /कर्मचारी**

| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | - | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | 9471000437 |
| 2 | कृष्ण कुमार सिन्हा | वरीय प्रषासी पदाधिकारी | 9471007159 |
| 3 | | उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | प्रभाकर सचान | एसपीएम-सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 9471007167 |
| 5 | हेना नकवी | एसपीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च | 9471007162 |
| 6 | सुशील कुमार श्रीवास्तव | एसपीएम- केपैसिटी बिल्डिंग | 8544419035 |
| 7 | प्रणव कुमार झा | फाइनैंस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट | 8544419038 |
| 8 | फजले रब्बानी सिद्दकी | एसपीएम-पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी | 9471007165 |
| 9 | अविनाश कुमार | एसपीएम-सर्विसेज़ फॉर द अल्ट्रा पूअर | 9471007166 |
| 10 | शहनवाज अहमद | एसपीएम-मॉनिटरिंग एण्ड इवैलुएशन | 8873207934 |
| 11 | आकाश साव | प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट | 8544401832 |
| 12 | अरुणा वसंत उके | पीएम-केपैसिटी बिल्डिंग | 9471007168 |
| 13 | सज्जन कुमार | पीएम- सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 8544419037 |
| 14 | रणजीत कुमार | पीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च | 8544419036 |
| 15 | रवि कुमार | पीएम-पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी | 8544419034 |
| 16 | प्रशांत लाल | पीएम-मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन | 8544401831 |
| 17 | शंभू नाथ सिंह | पीएम-बेगरी प्रेवेन्शन | 8292191841 |
| 18 | प्रशांत प्रियदर्शी | एपीएम-बेगरी प्रेवेन्शन | 8544401825 |
| 19 | लक्ष्मण कुमार | एकाउन्टेंट-एमबीएनवाई | 9934250602 |

## अध्याय-11 (मैनुअल-10)

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी

| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण कुमार सिन्हा | वरीय प्रषासी पदाधिकारी | 15600-39600 |
| 2 | | उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | |
| 3 | प्रभाकर सचान | एसपीएम-सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 50000-70000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | हेना नकवी | एसपीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च | 50000-70000 |
| 5 | सुशील कुमार श्रीवास्तव | एसपीएम- केपैसिटी बिल्डिंग | 50000-70000 |
| 6 | प्रणव कुमार झा | फाइनैंस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट | 50000-70000 |
| 7 | फजले रब्बानी सिद्दकी | एसपीएम-पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी | 50000-70000 |
| 8 | अविनाश कुमार | एसपीएम-सर्विसेज़ फॉर द अल्ट्रा पूअर | 50000-70000 |
| 9 | शहनवाज अहमद | एसपीएम-मॉनिटरिंग एण्ड इवैलुएशन | 50000-70000 |
| 10 | आकाश साव | प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट | 50000-70000 |
| 11 | अरुणा वसंत उके | पीएम-केपैसिटी बिल्डिंग | 37500-50000 |
| 12 | सज्जन कुमार | पीएम- सर्विसेज़ फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 37500-50000 |
| 13 | रणजीत कुमार | पीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिसर्च | 37500-50000 |
| 14 | रवि कुमार | पीएम-पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी | 37500-50000 |
| 15 | प्रशांत लाल | पीएम-मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन | 37500-50000 |
| 16 | शंभू नाथ सिंह | पीएम-बेगरी प्रेवेन्शन | 37500-50000 |
| 17 | प्रशांत प्रियदर्शी | एपीएम-बेगरी प्रेवेन्शन | |
| 18 | | जिला प्रबंधक (38 जिलें) | 37500-50000 |
| 19 | लक्ष्मण कुमार | एकाउन्टेंट-एमबीएनवाई | |
| 20 | | लेखापाल (38 जिलें) | |

## <u>महिला विकास निगम</u>

महिला विकास निगम, बिहार का निबंधन सोसाईटी रजिस्टेशन एक्ट, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत सन 1991 में किया गया 2016 में निगम ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पुरे कर लिये है इन 25 वर्षो में निगम ने अपने निरंतर प्रयास से राज्य में न केवल अपनी पहचान स्थापित की है, बल्कि राज्य में महिलाओं के विकास के उदेश्य को पूरा करते

हुए गरीब और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढाने में महत्वपूर्ण  सफलता अर्जित की है |

महिलओं के सवांगिण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम राज्य मे नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है | निगम द्वारा संचालित मुख्य योजनायें निम्नवत है -

**<u>राज्य संपोषित</u>**

2 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना;-

राज्य की महिलओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्क़तिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उदेश्य से बिहार सरकार द्वारा संपोषित ' मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना'  का संचालन किया जा रहा है |

**<u>उदेश्य</u> ; -**

राज्य की महिलओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्क़तिक सशक्तिकरण
राज्य में महिला संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन
सेवा प्रक्षेत्र के अंतर्गत महिलओं एवं किशोरियों का कौशल उननयन एवं रोजगार उपलब्घ कराना
अध्ययन एवं विकास

**<u>आर्थिक सशक्तिकरण</u>**

(क) सेवा प्रक्षेत्र के विभिन्न टेडो यथा कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, हाउस कीपिंग, सेल्स मैनेजमेंट, रोगी परचिारिका, नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण, मोबाईल रिपेयरिंग, वाहन चालक आदि महिलओं एवं किशोरियों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है |  वितिय वर्ष 2017- 18 में इस गतिविधी को और सधन रूप से कार्यान्वित किया जाना है |

**<u>सामाजिक सशक्तिकरण ; -</u>**

(ख) **<u>महिला हेल्पलाईन ;</u>** -  महिला हेल्पलाईन का मुख्य उदेश्य हिंसा एवं अत्याचार से पीडित महिलओं को नि;शुल्क कानूनी सेवा, प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग, आवश्यक परिस्थिति में अल्पाकालीन आवासीय व्यवस्था, एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा दीर्धकालीन पुर्नवास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान किया जाना है  |
2016 - 17 में राज्य के कुल 38 जिला में महिला हेल्पलाईन का संचालन किया जा रहा है | महिला हेल्पलाईन में अबतक कुल 46148 मामले दर्ज किये गये है जिसमे से 36168 (78 प्रतिशत ) मामलों का निष्पादन किया गया है |
वितिय वर्ष 2017 -18  में उक्त योजना को संचालित किया जाना है , साथ ही राज्य के 65 अनुमंडलों में उक्त योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन हैा

(ख) **<u>महिला अल्पावास गृह :-</u>** उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एंव आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 23 जिला में एक अल्पावास गृह की स्थापना की गयी है।

2016-17 में राज्य के 23 जिला में अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 15 जिलों में संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अल्पावास गृह में वित्तीय वर्ष 16-17 में कुल 1642 महिलाओं/किशोरियों को निःशुल्क आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्घ कराया गया है तथा इनमें से 1413 महिलाओं को पुर्नवासित किया जा चुका है।

(ग) **<u>रक्षा गृह:-</u>** जो महिलायें एंव किशोरियों अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम, 1956 एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत उत्पीड़ित है, उन्हें पुनर्वासित करने के उद्देश्य से पटना जिला में रक्षा गृह स्थापित किया गया है । इसके तहत उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

पटना जिला में 50 विस्तर के एक इकाई रक्षा गृह का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ) **<u>सामाजिक जागरूकता:-</u>** राज्य के 38 जिलों में सेमीनार के आयोजन, नुक्कड़ नाट्क के माध्यम से राज्य के सभी प्रखंड़ों में महिला मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, अखबारों में विज्ञापन, रेडियों जिंगल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

2016-17 में सभी जिलों को महिला संबंधित मुद्दों यथा- घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शराबबंदी एवं शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता के लिए स्वयं सहायता समूहों, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पुलिस, पारालीगल काॅडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता सामग्रियों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इन मुद्दों पर विभन्न जिलां में होडिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडिंयों जिंगल का प्रसारण भी किया जा रहा है।

(ड़) **<u>सामाजिक पुनर्वास कोष:</u>**- इस कोष का उपयोग महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुर्नवास (चिकित्सकीय, शैक्षिणिक, आर्थिक एवं सामाजिक ) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जिन्हें कठिन परिस्थितियों विशेष रूप से मानव व्यापार की पीड़िताओं को संरक्षण एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत कुल रू0 48.99 लाख का वितरण 904 लाभार्थियों के बीच किया गया है।

**<u>सांस्कृतिक सशक्तिकरण:-</u>** महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित विभिन्न दिवसों यथा-अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस आदि के अवसर पर जिला एवं मुख्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है।

राज्य की महिलाओं के परंपरागत कौशल लोक कला, महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 16-17 में प्ज्थ् सरस मेला,

महिला उद्योग मेला तथा दशहरा उत्सव के दौरान गाँधी मैदान पटना एवं सोनपुर मेला आदि में पवेलियन लगाया गया है।

## महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का कार्यान्वयन:-

महिला के सर्वांगिण विकास एवं सशक्तिकारण हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का निर्माण किया गया है। राज्य में उक्त नीति के अनुरूप निर्मित एकीकृत कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

राज्य में जेंडर संवेदीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। सेंटर के मे माध्यम से विभागों/संगठनों के कर्मियों का जेंडर संवेदीकरण हेतु निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

### 2. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना:-

कन्या भ्रुण हत्या को रोकने, जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, लिंगानुपात को संतुलित करने तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की दो कन्या शिशुओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है।

राज्य में दो बैकों यथा- आई.डी.बी.आई. एवं यूको बैक के माध्यम से उक्त योजना का संचालन किया जा रहा जो अबतक निर्गत कुल बांड/ सावधि जमा प्रमाण पत्रः- 16,72,868

## केन्द्र संपोषित योजनायें-

### 1. वन स्टाप सेंटर

उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा यथा- घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, मानव पणन, किलिंग, दहेज

प्रताड़ना एसिड आक्रमण की पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को चिकित्सीय, विधिक, परामशर्मी एवं अस्थायी आश्रय की सुविधा एक छत के नीचे मुहैया कराना। वर्तमान में यह योजना पटना, दरभंगा, बेगुसराय एवं गोपालगंज जिला में संचालित है तथा शेष 04 जिलों यथा गया, पूर्णियाँ सारण एवं नालंदा में शीघ्र आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

### 2. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं:-

**उद्देश्य:-** जेंडर आधारित लिंग चयन पर रोक लगाते हुए बालिका शिशु के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु की उत्तरजीविता एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिका शिशु की शिक्षा एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना।

**संचालन:-** राज्य के एक मात्र जिला वैशाली में यह योजना संचालित है ।

3. ***<u>महिला हेल्पलाईन:-181</u>***

**<u>उद्देश्यः</u>**- महिलाओ के विरूद्ध अपराध की स्थिति में त्वरित सहयोग तथा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, निर्मित अधिनियमों, अधिकारों आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह ज्वसस थ्तमम छव. संचालित किया जा रहा है। अब तक इस सेवा का लाभ 113645 महिलाओं द्वारा लिया गया है। संचालनः- वर्तमान में निगम मुख्यालय में 24 गुण 7 संचालित है।

6 **<u>लोक प्राधिकारण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा ( जहां लागू हो ) :-</u>**

समाज कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढांचों

प्रधान सचिव / सचिव

अपर सचिव / संयुक्त सचिव

उप सचिव

अवर सचिव

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

**<u>समाज कल्याण निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा</u>**

निदेशक

उप-निदेशक

सहायक निदेशक

**<u>आई0 सी0 डी0 एस0 निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा</u>**

नेदशक

सहायक निदेशक

लेखा पदाधिकरी /अनुश्रवण पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

**<u>जिला स्तर पर</u>**

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

प्रखंड /परियोजना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

## <u>सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा</u>

निदेशक

संयुक्त सचिव

उप- निदेशक ( मुख्यालय )

सहायक निदेशक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक

**<u>क्षेत्रिय स्तर पर</u>**

जिला स्तर पर - सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

**7. <u>लोक प्राधिकारण की कार्यदक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें</u> : -** संगोष्ठी, प्रचार- प्रसार आदि के माध्यम से जन सहयोग अपेक्षित

**8. <u>जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था</u> : -** निदेशालय स्तर पर निदेशक, प्रमंडीय स्तर पर

आयुक्त, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी / अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर

पर प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी जन सहयोग हेतु कार्यरत हैं।

9. **<u>जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:</u>**- सचिवालय स्तर पर सचिव, समाज कल्याण निदेशालय स्तर पर निदेशकों, प्रमंडलीय स्तर पर आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है तथा प्रत्येक प्रशासनिक ईकाई पर शिकायतों के निवारण की व्यवस्था है ।

## <u>अध्याय- 3 ( मैनुअल-2)</u>

## अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कर्त्तव्य ।

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एव कर्त्तव्य का विवरण निम्न प्रकार है ।

| पदनाम | सचिव |
|---|---|
| शक्तियाँ | **प्रशासकीय :-** बिहार सेवा संहिता, बिहार कार्यपालिका नियमावली एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियाँ ।<br>**वित्तीय :-** बिहार वित्तीय नियमावली में प्रदत्त शक्तियाँ एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदत्त सभी वित्तीय शक्तियाँ ।<br>**अन्य :-** ढाई करोड़ रूपये की लागत वाली नई योजना, स्कीमों की स्वीकृति (वशर्ते कि वजटीय प्रावधान हो तथा योजना का समावेश विभागीय योजना आलेख में हो) । |
| कर्त्तव्य | बिहार कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन । |
| पदनाम | निदेशक |
| शक्तियाँ | प्रशासकीय :- बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियाँ । |
| कर्त्तव्य | बिहार कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन । |

## <u>अध्याय- - 4 (मैनुअल-3)</u>

## कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

1. लोक प्राधिकरण अथवा अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले निमय, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करयें (यह सूचना प्रति अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें।

| अभिलेख का नाम | अभिलेख का प्रकार |
|---|---|
| बिहार वित्तीय नियमावली, वजट मैनुअल, यात्रा भत्ता नियमावली, बिहार कोषागार संहित, बिहार सेवा संहिता, बिहार, पेंशन नियमावली, सचिवालय अनुदेशक बोर्ड, प्रकीर्ण | अनुदेश । |

| | |
|---|---|
| नियमावली, रेकर्ड मैनुअल, कार्यपालिका नियमावली, विभागीय कम्पेडियम इत्यादि । | |

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुनें (नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका, अभिलेख अन्य)

| अभिलेख का नाम | | पुस्तक के रूप में |
|---|---|---|
| नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका, अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं ? | पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल, अन्य । | खुले बाजार से |

# <u>अध्याय- 5 (मैनुअल-4)</u>

## नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण।

1. क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श / भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है, तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

| क्रमांक | विषय/कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ या नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था। |
|---|---|---|---|
| | | | |

नीति के कार्यान्वयन हेतु:-

क्या लोक प्राधिकारण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से/की परामर्श/भागीदारी काक कोई प्रावधान है ? यदि है, तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारू में प्रस्तुत करें।

| क्रमांक | विषय/कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ या नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था। |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण ।

| | |
|---|---|
| 1. अपीलीय प्राधिकार | विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना |
| 2. लोक सूचना पदाधिकारी | अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना |

| | |
|---|---|
| 3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी | |

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अनतर्गत निदेशालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण।

| | |
|---|---|
| (क) समाज कल्याण निदेशालय:-<br>1. अपीलीय प्राधिकार | निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना |
| 2. लोक सूचना पदाधिकारी | सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना |
| 3. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी | - |
| (ख) आई0सी0डी0एस0 निदेशालय:-<br>1. अपीलीय प्राधिकार | निदेशक, आई0सी0डी0एस, निदेशालय, बिहार, पटना |
| 2. लोक सूचना पदाधिकारी | सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस, निदेशालय, बिहार, पटना |
| 3. सहयक लोक सूचना पदाधिकारी | - |
| (ग) सामाजिक सुरक्षा निदेशालय :-<br>1. अपीलीय प्राधिकार | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना |
| 2. लोक सूचना पदाधिकारी | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना |
| 3. सहयक लोक सूचना पदाधिकारी | - |

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरण ।

| | |
|---|---|
| (क) जिला प्रोग्रमा कार्यालय:-<br>1. अपीलीय प्राधिकार<br>2. लोक सूचना पदाधिकरी | <br>जिला पदाधिकारी<br>जिला प्रोग्राम पदाधिकारी |
| 3. लोक सूचना पदाधिकारी | जिला प्रोग्राम के कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक |
| (ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यालय :-<br>1. अपीलीय प्राधिकार<br>2. लोक सूचना पदाधिकरी | <br>जिला पदाधिकारी<br>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा । |
| 3. लोक सूचना पदाधिकारी | सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक । |
| (ग) बाल विकास परियोजना कार्यालय :-<br>1. अपीलीय प्राधिकार<br>2. लोक सूचना पदाधिकरी | <br>जिला पदाधिकारी<br>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा । |
| 3. लोक सूचना पदाधिकारी | सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रधान लिपिक । |

## अध्यय- 6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकार के पास या इनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रव (Categories) s के अनुसार विवरण ।

## नीति निर्धारण हेतु

1. लोक प्राधिकार के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों को देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बतायें कि दस्तावेजों कहाँ उपलब्ध हरते हैं। जैसे कि सचिव स्तर पर निदेशालय स्तर पर अन्य। ( कृप्या अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)।

| क्रमांक | प्रवर्ग | दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय | दस्तावेज प्रापत करने के लिए प्रक्रिया | धारक/नियत्रणाधीन |
|---|---|---|---|---|
| | पंजी | भंडार पंजी, इतिहास पंजी वेतन निस्तार पंजील, विपत्र पत्र पंजी, आकस्मिक पंजी, स्पाम्प पंजी, निर्गत पंजी, चपरासी बही, सहायकों का लॉग बूक, गति पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी, मनी रसीद, रोकड़ पंजी, मैंसैंजर पंजी आवंटन पंजी एवं सेवा पुस्त | लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से | सचिवालय स्तर पर सचिव।<br>निदेशलय स्तर पर निदेशक।<br>जिला स्तार पर प्रोग्राम पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सरुक्षा।<br>प्रखंड स्तर पर बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी । |

## अध्यय-7 (मैनुअल-6)

कृपया लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें ।

- संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता :- बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड, पुनाईचक
- संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)- बोर्ड
- संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्येश्य/मुख्य कृत्य)- बोर्ड की स्थापना 1956 में स्वयंसेवी सस्थाओं के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के लोगों-विशेष कर महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने एवं उनके सहायतार्थ अन्य प्रकार के केन्द्रों होम्स, होस्टल्स एवं केच सेन्टर्स की स्थापना करने के उद्येश्य से की गयी है । बोर्ड का गठन कमजोर वर्ग के महिलाओं को सामाजिक एवं आथर्कि दृष्टिकोण से समुन्नत बनाने हेतु किया गया है।
- संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदातृ/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)- कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य - सम्प्रति सदस्यां की संख्या चार है । (संबंधित आदेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।)

- मुख्य अधिकारी का नाम -
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के.....
- बैठक की आवृति- मुख्य कार्यालय में प्रस्तावों के स्क्रीनिंग हेतु तीन या चार बैठक आयोजित किये जाते हैं ।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? - नहीं ।
- क्या बैठक में कार्यवृत तैयार की जाती है ? - हाँ ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है ? तो प्रक्रिया का विवरण दें :- बैठक का कार्यवृत जनता को उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है ।

**<u>बोर्ड, परिषदों, व्यक्तियों एवं अन्य निकायों का विवरण।</u>**

1. कृपया लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें ।

- संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता:- स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफयेर, द्तीय तल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना-23
- संबंद्ध संस्था का प्रकार ( बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)- सोसाईटी
- संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)- स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के धारा 21 के अन्तर्गत् दिनांक 24.02.2012 को निबंधित हुआ एवं इसकी निबंधन संख्या- 132.2008.08 है।
- संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदाता/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य) येाजना एवं परियोजना का कार्यान्वयन
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य- बायोलॉज संबंधित पृष्ठ संलग्न।
- मुख्य अधिकारी का नाम:- श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के .....
- बैठक की आवृति:- कार्यकारिणी समिति (तीन महा में एक बार) एवं आम सभा (छः माह में एक बार)।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? नहीं।
- क्या बैठक में कार्यवृत तैयार की जाती है ? हाँ
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है ? तो प्रक्रिया का विवरण दें :- नहीं

## <u>अध्यय-9 (मैनुल-8)</u>

### निर्णय होने की प्रक्रिया ।

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है सचिवालय मैनुअल और विभागीय मैनुअल के नियमों, आदि नियमों आदि नियमों का उल्लेख किया जा सकता है) :- सचिवालय अनुदेश, कार्यपालिका निमयावली एवं अन्य नियमावली एवं अनुदेशों, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में निर्णय लिए जाते हैं ।

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रि्रया क्या है अथवा निर्णय लने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाना है - निर्धारित मापदण्डों एवं प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर संबंधित निदेशक, सचिवालय स्तर पर सचिव एवं राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जाता है ।

3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है :- प्रेस के माध्यम से एवं परिपत्रों द्वारा ।

4. विभिन्न् स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति लेने के लिए प्राप्त की जाती है :- निदेशालय स्तर पर निदेशक, विभाग स्तर पर सरकार एवं कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित शक्ति एवं रूप संबंध विभाग एवं मंत्रिमंडल की संस्तुति प्राप्त की जाती है ।

5. अंतिम निर्णय लेने  के लिए प्राधिकृत अधिकारी :- विभागीय सचिव ।

6. मुख्य विषय, जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत  करें ।

| | |
|---|---|
| 1. विषय :- स्थानान्तरण/ पदस्थापन | स्थापना समिति (अराजपत्रित एवं राजपत्रित) |
| 2. दिशा-निदेश (यदि हो, तो) | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं विभागीय नियमावली के अनुसार |
| 3. निर्णण लेने की प्रक्रिया | समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर सचिव/राज्य सरकार के अनुमोद के आधार पर किया जाता है। |
| 4. निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम | सचिव, समाज कल्याण विभाग |
| 5. निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना | |
| 6. निर्णय के विरूद्ध कहाँ और कैसें अपील करें । | सचिव के आदेश के विरूद्ध विभागीय मंत्री के समक्ष अपील किया जा सकता है । |

## अध्याय - 10 ( मैनुअल - 9 )

## समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

| क्रं | पदाधिकारी / कर्मचारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री अतुल प्रसाद, भा० प्र० से० | प्रधान सचिव |
| 2 | श्रीमती सुजाता चालाना | अपर सचिव |
| 3 | श्री वीरेन्द्र कुमार | संयुक्त सचिव |
| 4 | श्री किशोरी पासवान | संयुक्त सचिव |
| 5 | श्री धंन्नजय ठाकुर | अपर समाहर्ता स्तर पदाधिकारी |
| 6 | श्री मोहन लाल | अवर सचिव |
| 7 | श्री विरेन्द्र कुमार | विशेष कार्य पदाधिकारी |
| 8 | श्री धमेन्द्र कुमार ब्रहमचारी | प्रधान आप्त सचिव |
| 9 | श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा | आप्त सचिव |
| 10 | श्री जयप्रकाश रजक | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 11 | श्री उदय प्रकाश सिह | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 12 | श्री अर्जुन लाल दास | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 13 | श्री शैलेश कुमार | निजी सहायक |
| 14 | श्री प्रेम प्रकाश | सहायक |
| 15 | श्री सुशील कुमार | सहायक |
| 16 | श्री मारकांडे पासवान | सहायक |
| 17 | श्री विनोद कुमार पासवान | सहायक |
| 18 | श्री अंजनी कुमार मिश्र | सहायक |
| 19 | श्री कन्हैया मिश्र | सहायक |
| 20 | श्री क़ष्ण कुमार मिश्र | उ० व० लि० |
| 21 | श्री राम किशोर सिंह | उ० व० लि० |
| 22 | श्री रवि शंकर प्रसाद | उ० व० लि |
| 23 | श्री जलवा राम | आदेशपाल |
| 24 | श्री राम चरित्र यादव | आदेशपल |
| 25 | श्री ओम प्रकाश यादव | टेजरी सरकार |
| 26 | श्री राजेश प्रसाद यादव | कार्यालय परिचारी |
| 27 | श्री गोपाल प्रसाद | कार्यालय परिचारी |
| 28 | श्रीमती लालमुनि देवी | कार्यालय परिचारी |
| 29 | श्री रामनाथ सिंह | चालक |
| 30 | श्री योगेन्द्र विश्वकर्मा | चालक |
| 31 | श्री सुनील कुमार | चालक |

| क्र0सं0 | पदाधिकारी /कर्मचारीयों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री रामाशंकर दफतुआर, भा0प्र0से0 | निदेशक |
| 2 | श्री शिव कुमार सिन्हा | सहायक निदेशक |
| 3 | श्रीमती शशि सुधा कुमारी | सहायक निदेशक |
| 4 | श्री दिनानाथ प्रसाद | प्रशाखा पदाधिकार |
| 5 | मो0 रियाजुल नबी | सहायक |
| 6 | श्री राकेश रंजन सिन्हा | सहायक |
| 7 | श्री प्रवीण कुमार | सहायक |
| 8 | श्री प्रकाश चन्द्र झा | सहायक |
| 9 | श्री नवीन कुमार दिवाकर | सहायक |
| 10 | श्री क़ष्ण कुमार | उच्च वर्गीय लिपिक |
| 11 | श्रीमती म़तिका रत्नम | निम्न वर्गीय लिपिक |
| 12 | श्री आशुतोष कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक |
| 13 | श्री ओंकार कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक |
| 14 | श्री राज किशोर प्र0 सिंह | अनुसेवक |
| 15 | श्री अखिलेश्वर प्रसाद | अनुसेवक |
| 16 | श्री त्रिलोकी नाथ प्रसाद | अनुसेवक |
| 17 | श्रीमती प्रतिमा देवी | अनुसेवक |

## समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों की निदेशिका

| क्रं | पदाधिकारी / कर्मचारियों का नाम | पदनाम | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अतुल प्रसाद, भा0 प्र0 से0 | प्रधान सचिव | 1,82,200_ 2,24,100 |
| 2 | श्रीमती सुजाता चालाना | अपर सचिव | 1,18,500_ 2,14,100 |
| 3 | श्री वीरेन्द्र कुमार | संयुक्त सचिव | 1,18,500 _ 2,14,100 |
| 4 | श्री किशोरी पासवान | संयुक्त सचिव | 37,400 _ 67, 000 |
| 5 | श्री धंन्नजय ठाकुर | अपर समाहर्ता स्तर पदाधिकारी | 15,600 _ 39, 100 |
| 6 | श्री मोहन लाल | अवर सचिव | 15,600 _ 39,100 |
| 7 | श्री विरेन्द्र कुमार | विशेष कार्य पदाधिकारी | 15,600 _ 39,100 |
| 8 | श्री धमेन्द्र कुमार ब्रहमचारी | प्रधान आप्त सचिव | 15,600 _ 39,100 |
| 9 | श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा | आप्त सचिव | 15,600 _ 39,100 |
| 10 | श्री जयप्रकाश रजक | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300 _ 34,800 |
| 11 | श्री उदय प्रकाश सिह | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300 _ 34,800 |
| 12 | श्री अर्जुन लाल दास | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300 _ 34,800 |
| 13 | श्री शैलेश कुमार | निजी सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 14 | श्री प्रेम प्रकाश | सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 15 | श्री सुशील कुमार | सहायक | 9300 _ 34,800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | श्री मारकांडे पासवान | सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 17 | श्री विनोद कुमार पासवान | सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 18 | श्री अंजनी कुमार मिश्र | सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 19 | श्री कन्हैया मिश्र | सहायक | 9300 _ 34,800 |
| 20 | श्री क़ष्ण कुमार मिश्र | उ० व० लि० | 9300 _ 34,800 |
| 21 | श्री राम किशोर सिंह | उ० व० लि० | 9300 _ 34,800 |
| 22 | श्री रवि शंकर प्रसाद | उ० व० लि० | 9300 _ 34,800 |
| 23 | श्री जलवा राम | आदेशपाल | 5200 _ 20,200 |
| 24 | श्री राम चरित्र यादव | आदेशपल | 5200 _ 20,200 |
| 25 | श्री ओम प्रकाश यादव | टेजरी सरकार | 5200 _ 20,200 |
| 26 | श्री राजेश प्रसाद यादव | कार्यालय परिचारी | 5200 _ 20,200 |
| 27 | श्री गोपाल प्रसाद | कार्यालय परिचारी | 5200 _ 20,200 |
| 28 | श्रीमती लालमुनि देवी | कार्यालय परिचारी | 5200 _ 20,200 |
| 29 | श्री रामनाथ सिंह | चालक | 5200 _ 20,200 |
| 30 | श्री योगेन्द्र विश्वकर्मा | चालक | 5200 _ 20,200 |
| 31 | श्री सुनील कुमार | चालक | 5200 _ 20,200 |

**सामजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग निदेशालय (सामज कल्याण विभाग), पदाधिकारीयों / कर्मचारियों का वेतमान संबंधी विवरणी**

| क्र0सं0 | पदाधिकारी /कर्मचारीयों का नाम | पदनाम | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रामाशंकर दफतुआर, भा0प्र0से0 | निदेशक | 118500-214100 |
| 2 | श्री शिव कुमार सिन्हा | सहायक निदेशक | 37400-67000 |
| 3 | श्रीमती शशि सुधा कुमारी | सहायक निदेशक | 9300-34800 |
| 4 | श्री दिनानाथ प्रसाद | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300-34800 |
| 5 | मो0 रियाजुल नबी | सहायक | 9300-34800 |
| 6 | श्री राकेश रंजन सिन्हा | सहायक | 9300-34800 |
| 7 | श्री प्रवीण कुमार | सहायक | 9300-34800 |
| 8 | श्री प्रकाश चन्द्र झा | सहायक | 9300-34800 |
| 9 | श्री नवीन कुमार दिवाकर | सहायक | 9300-34800 |
| 10 | श्री क़ष्ण कुमार | उच्च वर्गीय लिपिक | 9300-34800 |
| 11 | श्रीमती म़तिका रत्नम | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 12 | श्री आशुतोष कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 13 | श्री ओंकार कुमार | निम्न वर्गीय लिपिक | 5200-20200 |
| 14 | श्री राज किशोर प्र0 सिंह | अनुसेवक | 5200-20200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | श्री अखिलेश्वर प्रसाद | अनुसेवक | 5200-20200 |
| 16 | श्री त्रिलोकी नाथ प्रसाद | अनुसेवक | 4440-74400 |
| 17 | श्रीमती प्रतिमा देवी | अनुसेवक | 4440-74400 |

## State Society For Ultra Poor and Social welfare

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | 9471000437 |
| 2 | श्री क़ष्ण कुमार सिन्हा | वरीय पदाधिकारी | 9471007159 |
| 3 | - | उप मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी | - |
| 4 | श्री प्रभाकर सचीन | एसपीएम- सर्विसेज फॉर द ओल्डर पर्सनस | 9471007167 |
| 5 | श्रीमती हेना नकवी | एसपीएम- कम्यूनिकोन एण्ड रिसर्च | 9471007162 |
| 6 | श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव | एसपीएम-केपैसिटी बिल्डिंग | 8544419035 |
| 7 | प्रणव कुमार झा | फाईनैंस मैनेजमेंट स्पे लिस्ट | 8544419038 |
| 8 | श्री फजले रब्बानी सिद्दकी | एसपीएम- पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी | 9471007165 |
| 9 | श्री अविनाश कुमार | एसपीएम- सर्विसेज फॉर द अल्टा | 9471007166 |
| 10 | शहनवाज अहमद | एसपीएम-मानिटरिंग एणड इवैलुएन | 8873207934 |
| 11 | श्री आकाश साव | पो्क्योरमेंट स्प्रे लिस्ट | 8544401832 |
| 12 | श्रीमती अरूणा वसंत उके | पीएम–केपैसिटी बिल्डिंग | 9471007168 |
| 13 | श्री सज्जन कुमार | एसपीएम- सर्विसेज फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 8544419037 |
| 14 | श्री रणजीत कुमार | एसपीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिर्सच | 8544419036 |
| 15 | श्री रवि कुमार | एसपीएम-पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी | 8544419034 |
| 16 | श्री प्रशांत लाल | एसपीएम- मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन | 8544401831 |
| 17 | श्री शंभू नाथ सिंह | एसपीएम- बेगरी प्रेवेन्शन | 8292191841 |
| 18 | श्रीमती प्रशांत प्रियदर्शी | एसपीएम- बेगरी प्रेवेन्शन | 8544401825 |
| 19 | श्री लक्ष्मण कुमार | एकाउन्टेंट - एमबीएनवाई | 9934250602 |

## State Society For Ultra Poor and Social welfare

| | नाम | पदनाम | समेकित वेतन / वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री क़ष्ण कुमार सिन्हा | वरीय प्रशासी पदाधिकारी | 15600- 39600 |
| 2 | प्रणव कुमार झा | फाईनैंस मैनेजमेंट स्पेलिस्ट | 50000- 70000 |
| 3 | श्री फजले रब्बानी सिद्दकी | एसपीएम- पर्सन्स विद डिस्एबिलिटी | 50000- 70000 |
| 4 | श्री प्रभाकर सचीन | एसपीएम- सर्विसेज फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 50000- 70000 |
| 5 | श्री हेना नकवी | एसपीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिर्सच | 50000- 70000 |
| 6 | श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव | पीएम–केपैसिटी बिल्डिंग | 50000- 70000 |
| 8 | श्री आकाश साव | पो्क्योरमेंट स्प्रे लिस्ट | 50000- 70000 |
| 9 | श्री शहनवाज अहमद | एसपीएम-मानिटरिंग एणड इवैलुएन | 50000- 70000 |
| 10 | श्री अविनाश कुमार | एसपीएम-सव्रिसेज फॉर द अल्टा पूअर | 50000- 70000 |
| 11 | श्री रणजीत कुमार | एसपीएम-कम्यूनिकेशन एण्ड रिर्सच | 37500- 50000 |
| 12 | श्री सज्जन कुमार | एसपीएम- सर्विसेज फॉर द ओल्डर पर्सन्स | 37500- 50000 |
| 13 | श्री अरूणा वसंत उके | पीएम- केपैसिटी बिल्डिंग | 50000- 70000 |
| 14 | श्री रवि कुमार | एसपीएम-पर्सन्स विथ डिसिबिलिटी | 50000- 70000 |
| 15 | श्री प्रशांत लाल | एसपीएम- मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन | 8544419034 |
| 16 | श्री प्रशांत लाल | एसपीएम- मोनिटरिंग एण्ड इवैलूएशन | 8544401831 |
| 17 | | जिला प्रबंधक 38 जिलें | |
| 18 | श्री शंभू नाथ सिंह | एसपीएम- बेगरी प्रेवेन्शन | 8292191841 |
| 19 | श्रीमती प्रशांत प्रियदर्शी | एसपीएम- बेगरी प्रेवेन्शन | 8544401825 |
| 20 | श्री लक्ष्मण कुमार | एकाउन्टेंट - एमबीएनवाई | 9934250602 |